

क्रमांक:- एफ.2(6358) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 14/04986/2019 जयपुर, दिनांक 07.11.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित सूचना सहायकों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है:-

क्र. सं.	मेरिट नं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	2419	अनिल गहलोत	कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, पाली	COPA(Junior Instructor) COMP. EXAM-2018(RSSB)
2	1674	अनिल कुमार पुत्र श्री नन्द राम	कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, ब्लॉक-सूरजगढ़, झुंझुनू	Assistant Statistical Officer comp. Exam (RPSC)
3	561	अखिलेश कुमार	कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, ब्लॉक-नदबई, भरतपुर	Librarian Grade-III Comp. Exam(RSSB)
4	2909	अनुराग खटाना	कार्यालय राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि., जयपुर	INDUSTRY EXTENSION OFFICER COMP. EXAM-2018(RSSB)
5	2943	अतुल बंसल	कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, भादरा, हनुमानगढ़	Assistant Statistical Officer Comp. Exam-2018(RPSC)
6	1106	अहमद रजा अजमेरी	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, भीलवाड़ा	Assistant Librarian comp. Exam(Univ. of Jammu) and NET comp. Exam-2019(UGC)
9	2273	अरविन्द कुमार	कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा	PGT Computer Science Comp. Exam-2019(HSSC)
10	1854	अरुण शर्मा	कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, बूंदी	Vice Principal-ITI Comp. Exam(RPSC)
11	New Ia	चन्द्रकांता मीना	कार्यालय एसीपी(उपनिदेशक), सू. प्रौ. और संचार विभाग, नगरपालिका, फुलेरा, जयपुर	ISRO- SCIENTIST/ENGINEER-SC (ELECTRONICS)-BE001

उपर्युक्त सूचना सहायकों को उपर्युक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
2. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
6. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

P.T.O.

8. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Jar
(बी.एस.नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कार्मिक।
- ✓ 3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

Jar
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव